कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय का पता :– कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, लालगढ पैलेस के पास, राजस्थान, बीकानेर
website:- www.education.rajasthan.gov.in/elementary Email:-aayukt.ele@gmail.com ☎: 0151-2226551

क्रमांक: शिविरा–प्रारं/नि.प्र./नि–2/982/पदस्थापन निर्देश/2016 दिनांक: 12.10.2021

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, बांसवाडा, डूंगरपुर,
प्रतापगढ एवं उदयपुर।

विषयः–राजस्थान **प्राथमिक और उच्च** प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती–2016 (संशोधित) अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में लेवल द्वितीय अंग्रेजी और विज्ञान–गणित (सामान्य शिक्षा) के पद पर नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति/पदस्थापन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती–2016 (संशोधित) अन्तर्गत राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार उक्त शिक्षक भर्ती अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में लेवल द्वितीय अंग्रेजी और विज्ञान–गणित (सामान्य शिक्षा) के शेष रहे वर्गवार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु इस कार्यालय द्वारा निम्नानुसार प्रतीक्षा सूची एवं जिला आवंटन आदेश जारी किये गये है :–

क्र.सं.	पदनाम	क्षेत्र	विषय	प्रतीक्षा सूची जारी करने की तिथि	जिला आवंटन करने की तिथि
1	तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल द्वितीय, सामान्य शिक्षा	अनुसूचित	अंग्रेजी	12.10.2021	12.10.2021
2	तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल द्वितीय, सामान्य शिक्षा	अनुसूचित	विज्ञान–गणित.	12.10.2021	12.10.2021

उक्त शिक्षक भर्ती–2016 (संशोधित) अन्तर्गत उपर्यक्तानुसार नवचयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति/पदस्थापन के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जावे:–

1. शिक्षक भर्ती–2016 (संशोधित) अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञप्तियों के प्रावधान/शर्तो एवं विभाग द्वारा उक्त भर्ती हेतु समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता सुनिश्चित की जावें। विज्ञप्ति की प्रतियां विभागीय बेबसाईट www.education.rajasthan.gov.in/elementary से डाउनलोड की जावे।
2. शिक्षक भर्ती–2016 (संशोधित) अनुसूचित क्षेत्र अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र, विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र, विधवा/परित्यकता, विकलांगता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र इत्यादि के संबंध में विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों की अनिवार्य रूप से पालना की जाये।
3. शिक्षक भर्ती–2016 (संशोधित) अनुसूचित क्षेत्र लेवल द्वितीय अंग्रेजी और विज्ञान–गणित, सामान्य शिक्षा हेतु जारी विज्ञप्ति के अनुसार ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक: 11.10.2017 अथवा इससे पूर्व की समस्त योग्यताएं (यथा–शैक्षिक, प्रशैक्षिक योग्यता, खेल प्रमाण पत्र, विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाह विच्छिन्न डिक्री, विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र इत्यादि) के प्रमाण पत्र होने अनिवार्य है, इस संबंध में पुख्ता पुष्टि करवाई जाने के उपरान्त ही पदस्थापन की कार्यवाही की जाये।
4. दिव्यांग प्रमाण–पत्र मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया अनिवार्य है जिसमें कम से कम 03 चिकित्सक शामिल हो, जिसमें से एक चिकित्सक उस रोग का विशेषज्ञ हो।
5. राजस्थान राज्य से बाहर अन्य राज्यों की शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता होने की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय से प्रमाणीकरण करवाये जाने के बाद ही नियुक्ति/पदस्थापन की कार्यवाही की जायें।
6. राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के अंकों का प्रमाणीकरण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर की वेबसाईट से करे तथा किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में बोर्ड से प्रमाणीकरण करवाया जाये।
7. आरक्षित वर्ग में चयनित विवाहित् महिलायें जो अन्य राज्यों से विवाह उपरान्त राजस्थान राज्य में प्रवासित हुई है, उन्हें आरक्षित पद पर नियुक्ति देय नही है, अतः इस संबंध में विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें।
8. उक्त भर्ती के अन्तर्गत अध्यापक लेवल–द्वितीय अंग्रेजी के पद पर चयनित स्नातक एडिशनल अंग्रेजी योग्यताधारी अभ्यर्थियों से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर नियुक्तियां दी जाएँ कि "उनके द्वारा प्राप्त की गई नियुक्ति माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 1143/2018 पवन स्वरूप गौड़ व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य तथा अन्य कनेक्टेड अपीलों में पारित

समेकित निर्णय दिनांकः 25.03.2021 के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका में पारित होने वाले निर्णय के अध्यधीन रहेगी।"

9. उक्त भर्ती के अन्तर्गत अध्यापक लेवल–द्वितीय अंग्रेजी के पद पर चयनित स्नातक एडिशनल अंग्रेजी योग्यताधारी अभ्यर्थियों से प्राप्त शपथ पत्र के आधार पर उनके नियुक्ति पत्र में यह शर्त अनिवार्य रूप से अंकित की जाऐं " बी.ए. एडिशनल अंग्रेजी की योग्यता के आधार पर आपको तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल–द्वितीय अंग्रेजी के पद पर दी जा रही नियुक्ति माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी. बी. स्पेशल अपील संख्या 1143/2018 पवन स्वरूप गौड़ व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य तथा अन्य कनेक्टेड अपीलों में पारित समेकित निर्णय दिनांकः 25.03.2021 के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका में पारित होने वाले निर्णय के अध्यधीन रहेगी।"

10. शिक्षक भर्ती–2016 (संशोधित) अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल–द्वितीय अंग्रेजी तथा विज्ञान और गणित के पदों पर नवचयनित अभ्यर्थियों की लेवलवार, नामवार, विषयवार सूचियां प्रेषित कर लेख है कि नवचयनित अभ्यर्थियों की पात्रता जांच एवं नियुक्ति/पदस्थापन के संबंध में निम्न कलैण्डर अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावेः–

क्र. सं.	विवरण	दिनों की संख्या
1	संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद द्वारा मेरिट से प्राप्त नवचयनित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन कर पदस्थापन हेतु उपलब्ध अभ्यर्थियों की अंतिम सूची तैयार करना।	25.10.2021 तक
2	संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद नवचयनित पदस्थापन हेतु उपलब्ध अभ्यर्थियों की अंतिम सूची संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा को उपलब्ध कराना।	26.10.2021 तक
3	विभागीय दिशा–निर्देशों के अनुसार शाला दर्पण पोर्टल पर जिले की लॉगिन पर उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार काउंसलिग हेतु रिक्त पदों को अपलोड करना।	27.10.2021 तक
4	विभागीय दिशा–निर्देशों के अनुसार काउंसलिग के लिये रिक्त पदों एवं अभ्यर्थियों की वरियता सूचियों का प्रकाशन किया जाना।	29.10.2021 तक
5	विभागीय दिशा–निर्देशों के अनुसार काउंसलिग कैम्पों (परामर्श शिविर) का आयोजन।	02.11.2021 तक
6	जिला स्थापना समिति से अनुमोदन उपरान्त नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करना।	08.11.2021 तक

अतः उक्त कलेण्डर के अनुसार नवचयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति/पदस्थापन की कार्यवाही सुनिश्चित करावे।

संलग्नः–विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश एवं चयन/जिला आवंटन आदेश।

(सौरभ स्वामी)
IAS
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं पं.राज(प्राशि)
राजस्थान बीकानेर।

क्रमांकः–शिविरा–प्रारं/नि.प्र./नि–2/982/पदस्थापन निर्देश/2016 दिनांकः–12.10.2021

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
4. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
5. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
6. उपायुक्त, शाला दर्पण पोर्टल, शिक्षा संकुल जयपुर।
7. उप विधि परामर्शी,विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर/जोधपुर।
9. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा बांसवाडा, डूंगरपुर, प्रतापगढ एवं उदयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं पं.राज(प्राशि)
राजस्थान बीकानेर।